संख्या-184/2019/3095/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई 2019

विषय:- **मा0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में विचाराधीन प्रकरण श्री राहुल कुमार डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग एवं सुश्री ममता गोंड बी0टेक0 चतुर्थ वर्श की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजाति विकास के पत्र संख्या-94/03/ज0जा0वि0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2019-20, दिनांक-11.07.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची छात्र श्री राहुल कुमार, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग को वर्श 2014-15 की छात्रवृत्ति/षुल्क प्रतिपूर्ति की धनराषि रू0 30,760/- एवं सुश्री ममता गोंड बी0टेक0 चतुर्थ वर्ष को वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं श्ल्क प्रतिपूर्ति धनराशि रू0 72,750/- अर्थात **कुल धनराशि रू0-1,03,510/-(रू0 एक लाख तीन हजार पांच सौ दस मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-184/2019/3095(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in